

उत्तर प्रदेश शासन
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2
संख्या-क0नि0-2-1041/ग्यारह-9(1)/2008-उ0प्र0अधि0-5-2008-आदेश-(136)-2015
लखनऊ: दिनांक: 22 जुलाई, 2015

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, सन् 2008) की धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल, उक्त अधिनियम की अनुसूची-चार में दिनांक 23 जुलाई, 2015 से निम्नलिखित संशोधन करते हैं :-

संशोधन

उक्त अनुसूची-चार में, क्रम संख्या 3 एवं 4(ग) की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ क्रमशः स्तम्भवार रख दी जायेगी, अर्थात्:-

क्रम संख्या	वस्तु का नाम एवं विवरण	कर का बिन्दु	कर की दर
1	2	3	4
3	पेट्रोल	नि0/आ0	26.80% या रु0 16.74 प्रति लीटर जो भी अधिक हो
4(ग)	डीजल आयल जैसा कि यूनाइटेड प्राविन्सेज सेल्स आफ मोटर स्पिरिट, डीजल आयल एण्ड एल्कोहल टैक्सेशन ऐक्ट, 1939 में परिभाषित है, क्रम संख्या- 4(क) एवं 4(ख) में वर्णित मामलों के अतिरिक्त।	नि0/आ0	17.48% या रु0 9.41 प्रति लीटर जो भी अधिक हो

आज्ञा से,



(बीरेश कुमार)
प्रमुख सचिव